न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 456/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

बिरसा मुण्डा – विक्रेता

सुनिता कच्छप – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.07.20	**आदेश**	

आवेदक बिरसा मुण्डा पिता पहलवान मुण्डा ग्राम–कालामाटी, बरटोली, थाना खूँटी जिला खूँटी ने सुनिता कच्छप पिता सावना कच्छप ग्राम–कालामाटी, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	97	1013	0.30

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 151023649 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 466 दिनांक 20.06.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम लांगो मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार पहलवान मुण्डा के नाम भूमि का रकवा 22.32 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा कुल रकबा 5.58 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 8900.00(आठ हजार नौ सौ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.28 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

शपथ पत्र सं0– 305 दिनांक 18.07.2020 के अनुसार सुनिता कच्छप वर्त्तमान में अविवाहित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बिरसा मुण्डा पिता पहलवान मुण्डा को सुनिता कच्छप पिता सावना कच्छप के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं0 97 खेसरा संख्या 1013 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 8900.00(आठ हजार नौ सौ)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

18/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

18/07/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।